

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 1342 OF 2024**

IN THE MATTER OF:

Satyapal Singh

...Applicant

Versus

The Block Development Officer
(Rural Development), Pilana, Baghat

....Respondents

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Affidavit Of District Magistrate Bhagpat in compliance of order dated 05.12.2024 passed by this Hon'ble Tribunal.	3
2.	ANNEXURE R-1 A copy of office letter no 1637 dated 08-01-2025	2
3.	ANNEXURE R-2 A copy of report dated 20 th March 2025	5
4.	ANNEXURE R-3 A copy of Inspection report dated 17-01-2025	1
5.	ANNEXURE R-4(Colly) A copy of letter dated 07.03.2025 and 22.03.2025	1

Ankit Verma

FILED THROUGH

(ANKIT VERMA)

STANDING COUNSEL STATE OF UP

A-15 FF, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI- 110013

MOB:- 0999080440 Email-ankit.scngtup@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 1342 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Satyapal Singh

...Applicant

Versus

The Block Development Officer

(Rural Development), Pilana, Baghat

....Respondents

AFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE BHAGPAT IN
COMPLIANCE OF ORDER DATED 05.12.2024 PASSED BY
THIS HON'BLE TRIBUNAL

The Respondent No.2 Herein states as under

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Ashmita Lal aged about years, 35 presently posted as District Magistrate District Bhagpat, Uttar Pradesh, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under: -

That I am above mentioned officer of the answering Respondent and is duly competent to file the present affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.

1. That the Deponent has read and understood the contents of the present affidavit. The averments made in the Original Application which are not specifically admitted hereunder must be considered to have been denied by the Deponent
2. That the deponent is posted as District Magistrate Bhagpat since 18-01-2025
3. That this Hon'ble Tribunal in vide order dated 05.12.2024 was pleased to pass the following directions:

8.Responses by the respondents be filed, with respect to the averments made in the application and also with respect to the steps 3 taken for compliance with directions given by this Tribunal vide order dated 18.11.2020 in O.A No. 325/2015, Lt. Col. Sarvadaman Singh Oberoi vs. Union of India & Ors., at least one week before the date of hearing hereby fixed.

That the present affidavit is being filed in respectful compliance of order passed by this Hon'ble Tribunal.

4. That the present Original Application, has been filed seeking issuance of directions for restoration/rejuvenation of two ponds and a nallah situated in the area of Village Dhikoli, District Baghpat.
5. That in Village Dhikholi, District Baghpat two ponds are situated in gata no 854 admeasuring area of 9110 square

meter and gata no 246 admeasuring area of 1640 square meter respectively.

6. That in compliance of order dated 05.12.2024 passed by this Hon'ble Tribunal, the deponent vide her office letter no. 1637 Dated. 08-01-2025 directed the Chief Development Officer & Block Development Officer, Pilana to ascertain the allegations. The said letter was also marked to sub Divisional Magistrate and Regional office of UPPCB Meerut. A copy of office letter no 1637 Dated. 08-01-2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R-1**

7. That the joint committee comprising of Sub Divisional Majistrate & Assitant Enviroment Engineer U.P. P.C.B. Meerut District Bhagpat inspected both the ponds on 17-01-2025

8. That during inspection it was observed that the pond situated at gata no. 246 has not been encroached upon and is covered with marsh and green vegetation. However the pond situated at gata no 854 has been encroached by the local villagers who have constructed illegal houses, against which proceedings u/s 67(1) of the UP Revenue Code 2006 have been initiated before the Court of Tehsildar wherein 28 proceedings are been adjudicated. A copy of report dated 20th March 2025 submitted to the deponent by the Tehsildar Sadar Bhagpat is annexed herewith and marked as **Annexure R-2**

9. That the work of removal of plastic and other waste(solid and liquid) material from the pond situated at gata no.246 has commenced and will be completed within a period of One Month.

10. That the inspection report dated 17-01-2025 submitted by the joint committee to the office of the deponent is annexed herewith and marked as **Annexure R-3**.
11. That further the deponent herein most respectfully submits that, for restoration/rejuvenation work of both the abovementioned ponds, letter dated 07.03.2025 and letter dated 22.03.2025 has been addressed to the Director Ground Water Department, State of Uttar Pradesh for releasing appropriate funds under the Atal Ground Water Management Scheme. A copy of letter dated 07.03.2025 and 22.03.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R-4**
12. That the deponent undertakes before this Hon'ble Tribunal that the orders passed by this Hon'ble Tribunal will be complied in letter and spirit and will further ensure that the ponds in District Bhagpat are not encroached upon and the Environmental norms are duly followed.
13. That in the interest of justice the instant reply affidavit may be taken on record by this Hon'ble Tribunal.


DEPONENT

Verification

I, the deponent above named do hereby verify and state that the contents of the foregoing paragraphs of the above application are true to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

On this day of 25-03-2025.


DEPONENT


BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 1342 OF 2024

497

**IN THE MATTER OF:**

Satyapal Singh

...Applicant

Versus

The Block Development Officer

(Rural Development), Pilana, Baghpat

...Respondents


AFFIDAVIT

I, Ashmita Lal d/o Sh. Ravindra Kumar aged about 35 years presently posted as District Magistrate Bhagpat, Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and declare as under-

1. That I am fully acquainted with the facts and circumstances and records of the case and thus competent to swear the present affidavit.
2. That the contents of the accompanying reply have been prepared under my instructions and have been understood by me and I declare the same to be true and correct to my knowledge of facts and law.
3. The contents as stated above are true and correct to my knowledge and belief.

Verification





It is verified at Baghpur on 25-03-2025 that the contents of the present application are true and correct and nothing has been concealed there from.

[Signature]
DEPONENT

SERIAL NO. 497
Certified that Mr. शक्ति चेलम
S/o Mr. शक्ति चेलम
R/o शक्ति चेलम
Identified by Mr. शक्ति चेलम
swearing the Contents of this affidavit
Fee paid on 25/3/25 Fee Rs.-35
only per deponent.

[Signature]
SURENJI KUMAR MISHRA
Advocate, NOTARY, Baghpur

~~ANNEXURE - 1~~

Item No. 04

Court No. 3

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 1342/2024

Satyapal Singh

Applicant

Versus

The Block Development Officer (Rural
Development), Pilana, Baghpat

Respondents

Date of hearing: 05.12.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

Applicant: None for the applicant.

Respondents: Ms. Priyanka Swami, Adv. for R - 1 to 3 (Through VC).

ORDER

1. The Applicant has filed the present application under the provisions of the National Green Tribunal Act, 2010 seeking issuance of directions for restoration/rejuvenation of two ponds and the nallah situated in the area of Village Dhikoli, District Baghpat.
2. The Applicant has submitted that large pond commonly referred to as "Nallah" by the locals and another large pond known as "Madanwa Pond" were deep and expansive about 20 to 25 years ago and the water was relatively clear. The animals and birds had ample access to clean water and the groundwater levels in the nearby hand pumps were sufficient. The villagers also use to perform rituals at the ponds as per Hindu traditions and beliefs. The condition of these ponds has deteriorated drastically due to encroachments and lack of maintenance. There are drainage issues due to which water has stagnated and become polluted with sewage overflow from nearby toilets rendering the ponds full

of sludge and foul smell. The Applicant made complaints to the concerned authorities from 2017 to 2023, but no action has been taken on the same.

3. On presentation, the Registry subjected the application to scrutiny and pointed out the defects but the Applicant expressed his inability to rectify the defects on which the application has been listed before this Tribunal.

4. *Prima facie*, the averments made in the application raise substantial questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010.

5. In view of the averments made in the application, we implead (1) State of Uttar Pradesh through the Additional Chief Secretary, Environment Department, Government of Uttar Pradesh, Bapu Bhawan, Sachivalaya, Lucknow- 226001, (2) District Magistrate, Baghpat, (3) U.P. Ground Water Authority through Member Secretary, Village Hariharpur, near Delhi Public School Saheed Path, Lucknow-226002 and (4) Uttar Pradesh Pollution Control Board through Member Secretary, Building No. TC-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010. Memo of Parties be prepared accordingly.

6. Ms. Priyanka Swami, Advocate has appeared and accepted notice on behalf of Respondents No. 1 to 3.

7. The Registry is directed to issue notice to Respondent No. 4, UPPCB.

8. Responses by the respondents be filed, with respect to the averments made in the application and also with respect to the steps

taken for compliance with directions given by this Tribunal vide order dated 18.11.2020 in O.A No. 325/2015, *Lt. Col. Sarvadaman Singh Oberoi vs. Union of India & Ors.*, at least one week before the date of hearing hereby fixed.

9. List on 28.03.2025 for further consideration.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

December 05, 2024
Original Application No. 1342/2024
dv



42

Ennexeure - R-1



(5)

कार्यालय जिलाधिकारी, बागपत।

Office of the District Magistrate, Baghpat

पत्रांक 1637/एस0टी0कैम्प-53/2024-25

दिनांक 08 जनवरी, 2025

- 1- मुख्य विकास अधिकारी,
- 2- खण्ड विकास अधिकारी, पिलाना

जनपद बागपत।

कृपया सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सन्दर्भ संख्या 22209/एन०जी०टी-5/2025 दिनांक 03.01.2025 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल प्रार्थना पत्र संख्या 1342/2024 सत्यपाल सिंह बनाम खण्ड विकास अधिकारी पिलाना में मा० अधिकरण द्वारा दिनांक 05.01.2025 को पारित आदेश का अनुपालन करने की अपेक्षा की गयी है। मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अंश निम्नवत् है -

4. Prima facie, the averments made in the application raise substantial questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010.
5. In view of the averments made in the application, we implead (1) State of Uttar Pradesh through the Additional Chief Secretary, Environment Department, Government of Uttar Pradesh, 'Bapu Bhawan, Sachivalaya, Lucknow-226001, (2) District Magistrate, Baghpat, (3) U.P. Ground Water Authority through Member Secretary, Village Hariharpur, near Delhi Public School Saheed Path, Lucknow-226002 and (4) Uttar Pradesh Pollution Control Board through Member Secretary, Building No. TC-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010. Memo of Parties be prepared accordingly.
6. Ms. Priyanke. Swami, Advocate has appeared and accepted notice on behalf of Respondents No. 1 to 3.
7. The Registry is directed to issue notice to Respondent No. 4, UPPCB

8. Responses by the respondents be filed, with respect to the averments made in the application and also with respect to the steps taken for compliance with directions given by this Tribunal vide order dated 18.11.2020 in O.A No. 325/2015, Lt. Col. Sarvadaman Singh Oberoi vs. Union of India & Ors., at least one week before the date of hearing hereby fixed.

9. List on 28.03.2025 for further consideration.

तदक्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 05.01.2025 को पारित आदेशों के अनुपालन में नियमानुसार वांछित कार्यवाही समय से सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या/रिप्लाइ एफिडेविट अगली सुनवाई हेतु नियत दिनांक से 10 दिन पूर्व दाखिल किया जाना सुनिश्चित करें। प्रथम समीक्षा 17.01.2025, 01:00 PM
संलग्नक - उपरोक्तानुसार ।

(जितेन्द्र प्रताप सिंह),

जिलाधिकारी,

बागपत ।

प्रतिलिपि:- अपर जिलाधिकारी (वि/रा)- नोडल अधिकारी एन०जी०टी, बागपत को वांछित कार्यवाही समय से सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को समन्वय कर वांछित कार्यवाही समय से सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

08.01.25
जिलाधिकारी,
बागपत ।

ENNEXURE - R-2
न्यायालय तहसीलदार सदर, बागपत

पत्रांक 128 / एम0जे0 -2025

दिनांक 20 मार्च 2025

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या: 1342/2024 सत्यपाल सिंह बनाम खण्ड विकास अधिकारी पिलाना जनपद बागपत में पारित आदेश दिनांकित 05.12.2024 के सम्बन्ध में।

जिलाधिकारी
बागपत

महोदया,

कृपया क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पाकेट-टी0 सी0-3/2 पल्लवपुरम फेस-02 मोदीपुरम मेरठ जनपद मेरठ उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 1133/जी0 आई0 ओ0 ए0-1342/2024 बागपत-2025 दिनांकित 07.02.2025 के क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी बागपत के पत्र संख्या 816/सात-डी0 एल0 आर0 सी0-2024-25 दिनांक 18.02.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके अन्तर्गत मा0 अधिकरण द्वारा वर्तमान वाद में पारित आदेश में पूर्व में ओ0ए0 संख्या-325/2015 कर्नल सर्वदमन सिंह ओवेराय बनाम भारत सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.11.2020 के क्रम में कार्यवाही आख्या दाखिल किए जाने हेतु प्रतिवादियों को आदेशित किया गया है। ओ0ए0-संख्या 325/2015 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गई "तालाबों, झीलों एवम् आर्द्रभूमियों के पुनर्जीवन कार्य योजना निरूपण हेतु दिग्दर्शिका" के अनुरूप अतिक्रमण के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ है।

उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि ग्राम ढिकौली परगना बागपत तहसील बागपत जनपद बागपत के राजस्व अभिलेखों में अंकित तालाब खसरा नम्बर 854 रकबा 0.9110है0 भूमि राजस्व अभिलेखों में जोहड अंकित है तथा प्रश्नगत जोहड को ग्राम में मदनवा वाला तालाब के नाम से पुकारा जाता है। इस तालाब/जोहड की कुल भूमि के लगभग 0.4400है0 रकबे पर अवैध रूप से आबादी बनाकर कब्जा किया गया है। इन कब्जा धारकों के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार, सदर बागपत में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-67(1) के अन्तर्गत 28 वाद विपक्षीयणों कालू, सुभाष, कृपाल, विनोद कुमार आदि विचाराधीन है, इन विचाराधीन वादों में अग्रिम नियत तिथि 02.04.2025 है तथा विचाराधीन वादों में शीघ्र-अतिशीघ्र न्यायिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए निस्तारण किया जायेगा तथा खसरा नम्बर 854 तालाब/जोहड का रकबा 0.4710है0 भूमि मौके पर खाली है। इसके अतिरिक्त अन्य तालाब खसरा नम्बर 246 रकबा 0.1640है0 जो मौके पर खाली है रिपोर्ट लेखपाल छाया प्रति के रूप में संलग्नक है। आख्या महोदया की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु में सादर प्रेषित।

संलग्नक यथोपरि

(अभिषेक कुमार सिंह)
तहसीलदार, सदर
बागपत

(अदिनाश त्रिपाठी)
उप जिलाधिकारी, सदर
बागपत

दैनिक वाद तालिका: ** मोबाइल नंबर उपलब्ध होते हुए भी ऑफिस न करने पर कार्यवाही की जा सकती है।

सुनवाई तिथि:- 02/04/2025

दिनांक बदलने

गतत पाए जाने पर कार्यवाही की जायेगी

विवादित भूमि का विवरण भरने के पश्चात वांछित वाद में दिनांक बदलने हेतु पेज को रिफ्रेश अवश्य करें!

क्र.	वाद नं.	पुराना वाद सं.	कंप्यूटरीकृत वाद सं.	अधिनियम/धारा	ग्राम का नाम	वादी एवं प्रतिवादी	नियत कार्यवाही	दाखिला तिथि	पिछली सुनवाई तिथि	अगली सुनवाई तिथि	नयी नियत कार्यवाही	विवादित	सुनिश्चित करें	मोबाइल नं. दर्ज करें
1	मूल वाद	2872/2023	1202311080102872	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	दिकौली	एल०एम०सी०-दिकौली कालू	साक्ष्य वादी	22/06/2023	02/04/2025		ग्राहयता	विवादित	<input type="checkbox"/>	मोबाइल नं. दर्ज करें
2	मूल वाद	2873/2023	1202311080102873	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	दिकौली	एल०एम०सी०-दिकौली सुभाष	साक्ष्य वादी	22/06/2023	02/04/2025		ग्राहयता	विवादित	<input type="checkbox"/>	मोबाइल नं. दर्ज करें
3	मूल वाद	2874/2023	1202311080102874	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	दिकौली	एल०एम०सी०-दिकौली कृपाल, राजेन्द्र आदि	साक्ष्य वादी	22/06/2023	02/04/2025		ग्राहयता	विवादित	<input type="checkbox"/>	मोबाइल नं. दर्ज करें
4	मूल वाद	2875/2023	1202311080102875	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	दिकौली	एल०एम०सी०-दिकौली विनोद कुमार	साक्ष्य वादी	22/06/2023	02/04/2025		ग्राहयता	विवादित	<input type="checkbox"/>	मोबाइल नं. दर्ज करें
5	मूल वाद	2876/2023	1202311080102876	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	दिकौली	एल०एम०सी०-दिकौली तेजपाल	साक्ष्य वादी	22/06/2023	02/04/2025		ग्राहयता	विवादित	<input type="checkbox"/>	मोबाइल नं. दर्ज करें
6	मूल वाद	2877/2023	1202311080102877	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता -	दिकौली	एल०एम०सी०-दिकौली प्रमोद	साक्ष्य वादी	22/06/2023	02/04/2025		ग्राहयता	विवादित	<input type="checkbox"/>	मोबाइल नं. दर्ज करें

(Handwritten signature)

		2006 67		ओगपाल व रणवीर									
19/09/2023	1202311080103259	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	दिकौली	एल०एम०सी० दिकौली रोहित, विरेन्द्र, नरेन्द्र	साक्ष्य वादी	12/07/2023	02/04/2025		ग्राह्यता	विवादित	<input type="checkbox"/>	मोबाइल नं० दर्ज करे	
3260/2023	1202311080103260	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	दिकौली	एल०एम०सी० दिकौली प्रदीप	साक्ष्य वादी	12/07/2023	02/04/2025		ग्राह्यता	विवादित	<input type="checkbox"/>	मोबाइल नं० दर्ज	
3261/2023	1202311080103261	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	दिकौली	एल०एम०सी० दिकौली रामकुमार, जोगेन्द्र, राजेन्द्र	साक्ष्य वादी	12/07/2023	02/04/2025		ग्राह्यता	विवादित	<input type="checkbox"/>	म नं० दर्ज करे	
3254/2023	1202311080103254	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	दिकौली	एल०एम०सी० दिकौली दिनेश	साक्ष्य प्रतिवादी	12/07/2023	02/04/2025		ग्राह्यता	विवादित	<input type="checkbox"/>	मोबाइल नं० दर्ज करे	

राजस्व संहिता, 2006 (राजस्व संहिता) परागमन प्रणाली, उत्तर प्रदेश

National Informatics Centre UP State Unit, Lucknow

(Handwritten Signature)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0- 1342/2024, सत्यपाल सिंह बनाम खण्ड विकास अधिकारी, पिलाना, बागपत में पारित आदेश दिनांक 05.12.2024 के सन्दर्भ में आख्या।

सन्दर्भित वाद में पारित आदेश दिनांक 05.12.2024 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय, बागपत के पत्रांक 1637/एसटी कैम्प-53/2024-25, दिनांक 08.01.2025 के माध्यम से मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु मुख्य विकास अधिकारी, बागपत व खण्ड विकास अधिकारी, पिलाना, बागपत को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए आख्या/शपथ पत्र दाखिल किये जाने हेतु निर्देशित करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय को समन्वयन कर वांछित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के अनुपालन में दिनांक 17.01.2025 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय खण्ड विकास अधिकारी, पिलाना, बागपत श्री भामर सिंह उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. ग्राम- ढिकौली, तहसील व जनपद- बागपत में पंजाब नेशनल बैंक के पीछे तालाब की सफाई, खुदाई व सड़े हुए पानी के निकास तथा अतिक्रमण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी को प्रेषित शिकायती पत्रों को मा0 अधिकरण में दाखिल आवेदन के साथ संलग्न किया गया है।
2. ग्राम- ढिकौली में सन्दर्भित तालाबों का निरीक्षण किया गया। दोनों तालाब नाली के माध्यम से जुड़े हैं। तालाबों में लगभग जल का भराव अत्यधिक कम है। पूरे तालाब में बड़ी-बड़ी घास उगी है तथा कुछ स्थानों पर जलीय पौधे भी उगे हैं। खाली भूमि पर कहीं-कहीं प्लास्टिक, कूड़ा करकट फेंका गया है। फोटोग्राफ संलग्न है।
3. राजस्व विभाग की उपलब्ध आख्यानुसार (प्रतिसंलग्न) खसरा नं- 246, क्षेत्रफल- 0.164 हेक्टेयर पर तालाब दर्ज है, मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं है एवं खसरा सं0- 854 क्षेत्रफल 0.9110 हे0 पर स्थित दूसरे तालाब के लगभग 0.4400 हे0 क्षेत्र पर अवैध अतिक्रमण है। कब्जा धारकों के विरुद्ध उ0प्र0 रा0 सं0- 2006 की 67(1) के अन्तर्गत न्यायालय, तहसीलदार, बागपत में वाद विचाराधीन है।
4. उक्त दोनों तालाबों में वर्षा जल तथा आबादी का घरेलू उत्प्रवाह निस्तारित होता है। किसी भी औद्योगिक/व्यवसायिक प्रतिष्ठान का उत्प्रवाह निस्तारित नहीं होता है।
5. उक्त के सम्बन्ध में औद्योगिक प्रदूषण के दृष्टिगत कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
6. मा0 अधिकरण द्वारा वर्तमान वाद में पारित आदेश में पूर्व में पारित आदेश दिनांक 18.11.2020, ओ0ए0 सं-325/2015, कर्नल सर्व दमन सिंह ओवेराय बनाम भारत सरकार व अन्य पारित आदेश के क्रम में कार्यवाही आख्या दाखिल किए जाने हेतु प्रतिवादियों को आदेशित किया गया है। ओ0ए0 सं0- 325/2015 के अनुपालन में "तालाबों, झीलों एवं आर्द्रभूमियों के पुनर्जीवन कार्य योजना निरूपण हेतु दिग्दर्शिका" उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गई है, जो कि <http://upecp.in.wetlandmgmtplan.aspx> पर उपलब्ध है। तत्कालिक रूप में निम्न कार्य किये जान सकते हैं-

- तालाब क्षेत्र की मार्किंग।
- प्लास्टिक वेस्ट की सफाई।
- तालाब में उगी घास की सफाई।
- तालाब में मिलने वाले नाले पर स्क्रीन/जाली की स्थापना।

उक्त के अतिरिक्त तालाब की खुदाई, सफाई व अतिक्रमण की कार्यवाही नियमानुसार कराया जाना उचित होगा।

आख्या सादर प्रस्तुत है।

क्षेत्रीय अधिकारी

Mandor
31/12/25

Y.K.
07/01/25
(योगेश कुमार मिश्र)
सहायक पर्यावरण अभियंता

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बागपत।

सेवा में,

निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र०,
राज्य भूजल सूचना प्रणाली केंद्र (भूजल भवन),
ग्राम- हरिहरपुर शहीद पथ, लखनऊ-226002.

पत्रांक: 297 /भू०ज०वि०/अ०भू०यो०/बागपत/2024-25

दिनांक: 22/03/2025

विषय: अटल भूजल योजना के अन्तर्गत तालाब जीर्णोद्धार हेतु धनराशि की मांग के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में ओ०ए० संख्या-1342/2024 Satyapal Singh Vs The Block Development Officer (Rural Development), Pilana, Baghpat वाद योजित किया गया है। जिसमें आवेदक द्वारा बागपत जिले के विकास खण्ड- पिलाना के ग्राम-ढिकौली में स्थित 02 तालाबों के जीर्णोद्धार की मांग की गई है।


तालाबों का विवरण निम्न प्रकार है -

1. मदनवा वाला तालाब खसरा संख्या 854 क्षेत्रफल 0.911 हे०।

2. पी०एन०बी० बैंक के पास स्थित (नाल्हा वाला तालाब) खसरा संख्या 246 क्षेत्रफल 0.164 हे०।

अधोहस्ताक्षरी के द्वारा पूर्व में प्रेषित तालाब जीर्णोद्धार की कार्ययोजना, पत्रांक: 284/भू०ज०वि०/अ०भू०यो०/संशोधित कार्ययोजना/2024-25 दिनांक: 07.03.2025 में पी०एन०बी० बैंक के पास स्थित (नाल्हा वाला तालाब) खसरा संख्या 246 क्षेत्रफल 0.164 हे० के तालाब को सम्मिलित किया गया है। अवशेष मदनवा वाला तालाब खसरा संख्या 854 क्षेत्रफल 0.911 हे० के जीर्णोद्धार हेतु आवश्यक अनुमानित धनराशि रू०-31.88 लाख को पूर्व में प्रेषित कार्ययोजना में सम्मिलित करते हुए कुल 27 तालाबों के जीर्णोद्धार हेतु कुल धनराशि रू०- 682.07 लाख उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(अस्मिता लाल)
जिलाधिकारी,
बागपत।

पत्राक व दिनांक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, बागपत।
2. सीनियर जियोफिजिसिस्ट, सर्वे खण्ड- मेरठ।
3. नोडल अधिकारी, अटल भूजल योजना, बागपत।

जिलाधिकारी,
बागपत।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
जनपद- बागपत।

सेवा में,

निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र०,
राज्य भूजल सूचना प्रणाली केन्द्र (भूजल भवन),
ग्राम-हरिहरपुर शहीद पथ, लखनऊ- 226002

पत्रांक: 284 /भू०ज०वि०/अ०भू०यो०/संशोधित कार्ययोजना/2024-25

दिनांक: 07/03/2025

विषय: अटल भूजल योजनान्तर्गत कार्यों हेतु इन्सेन्टिव फण्ड के माध्यम से प्रस्तावित कार्यों हेतु नवीन कार्ययोजना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि डा० राजकुमार सांगवान जी, मा० सांसद, लोकसभा क्षेत्र- बागपत के पत्र संख्या- 383/सीसी-आयुक्त No- 24119/MS/CM/2024 दिनांक: 26.07.2024 के द्वारा तालाबों के पुनरुद्धार व विकास हेतु कार्ययोजना बनाने की अपेक्षा की गई है।

आप के कार्यालय पत्रांक: 481/भू०ज०वि०/अ०भू०यो०/कार्ययोजना, लखनऊ: दिनांक: 07.01.2025 के द्वारा अटल भूजल योजनान्तर्गत कार्यों हेतु इन्सेन्टिव फंड के माध्यम से प्रस्तावित कार्यों हेतु नवीन/ संशोधित कार्ययोजना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।


उपरोक्त के अनुपालन में जनपद- बागपत में अटल भूजल योजना में चयनित ग्राम पंचायतों में तालाबों के जीर्णोद्धार हेतु नवीन संशोधित कार्ययोजना निम्नानुसार है -

क्र०सं०	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	खसरा संख्या	राजस्व अभिलेखों में दर्ज क्षेत्रफल (हे० में)	अनुमानित धनराशि (लाख ₹० में)	अभियुक्ति
1.	बागपत	बली	950	3.8	41.20	ठण्डो बाला तालाब
2.	बागपत	बली	743	0.999	26.20	-
3.	बागपत	खाली खेड़ा	541	0.936	25.20	पंचायत भवन के पास
4.	बागपत	ब्राह्मण पुड़ी	159	0.24	12.00	हरिजन बस्ती के पास
5.	बागपत	बागपत (एम०बी०)	660	0.5060	10.00	-
6.	बागपत	फैजुल्लापुर	551	0.405	15.00	-
7.	बागपत	बिचपड़ी कानौली	132	0.658	18.00	कब्रिस्तान के पास
8.	बागपत	मीतली रामपुर	577	0.6	20.00	-
9.	बागपत	पावला बेगमाबाद	543	0.481	9.50	कोल्हू के पास
10.	बागपत	बुढेडा	1026	0.706	15.00	-
11.	बागपत	ट्योदी	381	0.621	19.00	-
12.	बागपत	ग्यासी उर्फ गाधी	142	0.481	14.00	-
13.	बागपत	फतेहपुर पुड़ी	330	0.67	20.00	-
14.	बागपत	धनौरा सिल्वरनगर	531	0.683	24.00	-
15.	बागपत	अहमदशाहपुर पदडा	503	0.987	27.00	-
16.	बागपत	निवाली	158	0.631	19.00	-



17.	बागपत	सादुल्लापुर ढोड़ा	203	0.556	16.50	-
18.	बागपत	ट्योढी	538	0.481	14.50	-
19.	पिलाना	लुहारा	501	2.36	66.19	कब्रिस्तान के पास
20.	पिलाना	सेड़भर	784	0.7	20.40	गुला बाला तालाब
21.	पिलाना	ढिकौली	246	0.164	8.00	PNB बैंक के पास
22.	पिलाना	फतेहपुर माजरा	276	0.56	19.00	-
23.	पिलाना	खड्डा प्रह्लादपुर	1005	5.75	150.00	-
24.	पिलाना	सिंघावली अहीर	549	0.936	18.00	-
25.	पिलाना	सलावतपुर खेड़ी	225	0.228	8.00	-
26.	पिलाना	बुढसैनी	223	0.470	14.50	-
योग					650.19	


संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

 (अस्मिता लाल)
 जिलाधिकारी,
 बागपत।

पत्रांक व दिनांक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, बागपत।
2. सीनियर जियोफिजिसिस्ट, सर्वे खण्ड- मेरठ।
3. नोडल अधिकारी, अटल भूजल योजना- बागपत।


 जिलाधिकारी,
 बागपत।